निर्माण विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226007
नैक द्वारा A++ प्रत्यायित
WORKS DEPARTMENT
University of Lucknow, Lucknow-226007
Accredited A++ by NAAC

Ref. No. 745/SW/23 Date 24.02.2024

कार्यालय सूचना

भवन निर्माण एवं मरम्मत (सिविल एवं विद्युत) सम्बन्धी कार्यों के लिये पूर्व से पंजीकृत प्रतिष्ठानों के नवीनीकरण एवं नये प्रतिष्ठानो के पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित है। आवेदन पत्र का विवरण विश्वविद्यालय की वेवसाइट www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध है। पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र दिनॉक 02 मार्च 2024 को अपरान्ह् 3:30 बजे तक कुलानुशासक कार्यालय में संरक्षित बाक्स में जमा किये जा सकेगें।

भवदीय,

(प्रो0 डी0के0 सिंह)
कार्य अधीक्षक

E-mail : sw@lkouniv.ac.in

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्माण विभाग

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी नियमावली

निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ – 226007

निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में
ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु नियमावली

भाग–एक

पंजीकरण का उद्देश्य एवं विभिन्न प्रक्रिया इत्यादि

1– इस नियमावली का उद्देश्य मान्यता प्राप्त ऐसे ठेकेदारों की सूची तैयार करना एवं इनका रख–रखाव करना हैं, जो विभिन्न प्रकार एवं परिमाण के कार्यों को उचित समय पर निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार करने में सक्षम हो। इससे इन क्षेत्रों में सम्बन्धित पक्षकार यानि ठेकेदार को मान्यता प्राप्त होती है।

2– **सूचीबद्ध ठेकेदारों को अनुमन्य सुविधाए :–**

(i) सूचीबद्ध ठेकेदार निर्माण विभाग की पंजीकरण लिस्ट में रखे जाएंगे।

(ii) निर्माण विभाग के कार्यों के लिए पंजीकृत एजेन्सी/ठेकेदार ही अर्ह होंगे।

(iii) विशेष प्रकार के Specilised work विशेषज्ञ फर्मों द्वारा ही कराया जायेगा।

3– **प्रक्रिया**

(i) सूचीबद्धता के इच्छुक ठेकेदार निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दे सकते है, जो निविदा सूचना में निर्धारित कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। भरे हुए आवेदन–पत्र वांछित शुल्क सहित निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में जमा किए जा सकते हैं।

(ii) आवेदन पत्र पर निर्णय से ठेकेदार को सीधे सक्षम अधिकारी द्वारा अवगत कराया जाएगा और प्रार्थना स्वीकार होने की स्थिति में ठेकेदार का नाम पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों की सूची में सम्मिलित किया जाएगा।

4– **सीमाएँ**

(i) उल्लिखित गुणों एवं वर्गों के अन्तर्गत परिभाषित किसी भी प्रकार के एवं किसी भी परिमाण के कार्य, जो एक सूचीबद्ध ठेकेदार को सौंपे जा सकेंगे, हेतु सूचीबद्धता की यह सुविधा कराई जा रही है। यह सूचीबद्ध ठेकेदार के दूसरे वर्ग के कार्यों के लिए निविदा भरने में बाधक न होगा। बशर्तें वह कार्य उस वर्ग की लागत सीमा के अन्तर्गत हो, जिस हेतु वह अधिकृत है। परन्तु उसकी निविदा की स्वीकृत से पूर्व उस कार्य से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्र, जिसके लिए वह सूचीबद्ध है, जांचे जायेंगे।

(ii) एक ठेकेदार एक ही मालिक की हैसियत से अधिक नाम या व्यापार तथा साझेदार की दशा में दो से अधिक नाम या व्यापार सूचीबद्ध नहीं करा सकता। परन्तु किसी प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सदस्यता चाहे वह सूचीबद्ध हो या न हो, इस नियम के अन्तर्गत बाधक नहीं होगी।

(iii) एक ठेकेदार एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है एवं आवेदन में विभिन्न ग्रुपों/विभिन्न वर्गों का उल्लेख कर सकता है।

5— **नाम वापस लेना**

(i) सूचीबद्ध ठेकेदार पंजीकरण सूची से अपना नाम वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है एवं उक्त आवेदन की स्वीकृति के उपरान्त उसका नाम पंजीकरण सूची से निकाल दिया जायेगा। ठेकेदार ने जो स्थायी धरोहर धनराशि जमा की है तो वह कार्यालय से अदेयता/ अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त वापस कर दी जाएगी।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि नाम वापस लेने का प्रार्थना पत्र देते समय ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही लम्बित हो तो ऐसी दशा में मामले के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित रखी जाएगी।

(ii) समस्त सुविधाएं एवं मान्यताएं जो ठेकेदार को प्राप्त हों, नाम वापस लेने पर समाप्त हो जायेंगी। यदि उसके द्वारा पुनः पंजीकरण करने की प्रार्थना की जाती है तो इसे नए पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र माना जाएगा।

6— **निलम्बन**

(i) किसी ठेकेदार, जिसके विरूद्ध निम्नांकित बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही हो या धोखाधड़ी का आरोप हो, की सूचीबद्धता निलम्बित की जा सकती है और ऐसी दशा में उसे किसी भी कार्य के लिए निविदा देने की अनुमति तब तक न दी जाएगी जब तक उसके विरूद्ध लगे आरोपों की जांच नहीं हो जाती एवं वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता :—

(क) स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा बार—बार दुराचरण।

(ख) कार्य की असन्तोषजनक प्रगति के लगातार अथवा निरन्तर दृष्टान्त।

(ग) ऋणग्रस्तता में अभ्यस्त होना।

(घ) बाजार में दुर्नाम।

(ड) अपने मजदूरों एवं कर्मचारियों से दुर्व्यवहार एवं श्रम नियमों की अवहेलना।

(च) नशे की हालत में कार्यस्थल में उपस्थित होना।

(छ) निम्न स्तर का कार्य एवं सामग्री का प्रयोग करके गुणवत्ता की उपेक्षा करना।

(ज) अक्रमबद्ध तरीके से कार्य करना।

(झ) निर्गत की गई सामग्री का समायोजन समय से प्रस्तुत न करना।

(ट) ल0वि0वि0 अथवा अन्य सरकारी सामग्री का गबन या दुरूपयोग।

(ठ) गोपनीयता भंग करके अनाधिकृत व्यक्तियों तथा अन्य श्रोतों तक सूचनायें पहुंचाना।

(ड) परिकल्पी बोली बोलना।

(ढ़) किसी क्रिमिनल केस में पुलिस द्वारा वांछित हो अथवा उस पर फौजदारी का कोर्ट केस चल रहा हो।

7— **सूची से हटाया जाना (Removal)**

(i) ऐसे ठेकेदार को जो

(क) उपरोक्त पैरा 6 में से किसी दोष के लिए दोषी पाया जाय, अथवा

(ख) आचरण की दृष्टता से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हुआ हो, अथवा

(ग) निर्माण विभाग, ल0वि0वि0 या उसी के समानान्तर किसी अन्य अभियन्त्रण संस्था अथवा सरकारी विभागों द्वारा काली सूची में रखा गया हो, अथवा

(घ) निम्नलिखित पैरा 8 में निहित अयोग्यता में आता है पंजीकृत ठेकेदार की सूची से तुरन्त निकाल दिया जाएगा।

ऐसा आदेश करने वाला अधिकारी इस बात का स्पष्ट उल्लेख करेगा कि वह निर्णय स्थाई है या किसी निश्चित काल के लिए उचित समझा गया है। आदेश में अवधि का भी उल्लेख किया जाएगा।

एक ठेकेदार जिसका नाम इस पैरा के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार की सूची से हटा दिया गया हो या पैरा 6 के अन्तर्गत निलम्बित कर दिया गया हो, किसी क्षतिपूर्ति या हर्जाने का हकदार न होगा।

8— **अयोग्यता**

(i) वह व्यक्ति/फर्म पंजीकरण हेतु अयोग्य होगा, यदि वह

(क) आचरण की दृष्टि से सम्बन्धित अपराध के लिए दण्डित हो चुका हो अथवा उससे सम्बद्ध रहा हो।

(ख) दिवालिया हो गया हो एवं उससे छुटकारा न पा सका हो, अथवा

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क वाला हो, अथवा

(घ) लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन लाभ का कोई पद ग्रहण किया हो, अथवा

(ड) लखनऊ विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हो।

9— **अपवाद**

(i) नियमों अथवा विधि के किसी प्राविधान के होते हुए भी, पंजीकरण, निलम्बन एवं पंजीकरण सूची से हटाए जाने से सम्बन्धित मामलों के प्रत्यावेदन कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को दिए जा सकते हैं तथा इनकी अपील सुनने का अधिकार माननीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को होगा। प्रारम्भिक रूप से ऐसे मामले न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे।

10— **छूट**

(i) इसके पश्चात् इन नियमों में किसी बात के रहते हुए सक्षम अधिकारी पंजीकरण, निलम्बन एवं अग्रसारण के छूट से सम्बन्धित सभी मामलों में अपने उच्च अधिकारी को सूचित करेगा।

भाग–दो

ठेकेदारों का वर्गीकरण एवं शुल्कों का निर्धारण

(क) निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु निर्माण विभाग ल0वि0वि0 में ठेकेदारों को निम्न के अनुसार वर्गीकृत किया गया है तथा उनकी हैसियत सीमा, जमानत राशि, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित की गयी है:–

(ख) (i) विभिन्न श्रेणी के सिविल निर्माण कार्यों के लिए अधिकतम निविदा सीमा निम्नवत् होगी :–

क्र0	श्रेणी	ए0	बी0
1.	भवन एवं सड़क निर्माण तथा इससे सम्बन्धित वाटर सप्लाई, सीवर एवं अन्य कार्य।	असीमित	रू0 500.00 लाख

(ख) (ii) विभिन्न श्रेणी के विद्युतीय कार्यों के लिए अधिकतम निविदा सीमा निम्नवत् होगी :–

क्र0	श्रेणी	ए0	बी0
1.	विभिन्न श्रेणी के विद्युतीय कार्य	असीमित	रू0 50.00 लाख

(ग)(i) विभिन्न श्रेणी के सिविल निर्माण के लिए धरोहर धनराशि, हैसियत, पंजीकरण शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क, निम्नवत् होगी :–

क्र0	श्रेणी	स्थायी धरोहर धनराशि	हैसियत	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
1.	ए	रू0 7.50 लाख	75.00 लाख	रू0 10000.00 + जी0एस0टी0	रू0 10000.00 + जी0एस0टी0
2.	बी	रू0 5.00 लाख	40.00 लाख	रू0 7500.00 + जी0एस0टी0	रू0 7500.00 + जी0एस0टी0

(ग)(ii) विभिन्न श्रेणी के विद्युतीय कार्यों के लिए धरोहर धनराशि, हैसियत, पंजीकरण शुल्क तथा नवीनीकरण शुल्क, निम्नवत् होगी :–

क्र0	श्रेणी	स्थायी धरोहर धनराशि	हैसियत	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
1.	ए	रू0 3.00 लाख	30.00 लाख	रू0 10000.00 + जी0एस0टी0	रू0 10000.00 + जी0एस0टी0
2	बी	रू0 2.50 लाख	25.00 लाख	रू0 7500.00 + जी0एस0टी0	रू0 7500.00 + जी0एस0टी0

(घ) **स्थायी धरोहर धनराशि**

स्थायी धरोहर धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0, जिसकी वैधता न्यूनतम चार वर्ष की हो वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम बंधक होनी चाहिये।

(च) कोई ठेकेदार जो किसी एक श्रेणी के लिए पंजीकृत है, यदि वह अपने ऊपर की श्रेणी में उच्चीकरण हेतु आवेदन करता है तो सक्षम अधिकारी के द्वारा विगत 03 वर्षों के अनुभव एवं उनके कार्यकलापों को देखते हुए अधिकतम एक स्टेज उच्चीकरण अनुमन्य किया जा सकता है। एक स्टेज के माध्यम से अधिकतम 'ए' श्रेणी तक उच्चीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। किसी भी श्रेणी से ऊपर की श्रेणी में पंजीकरण हेतु वर्तमान श्रेणी के अधिकतम लागत से दो–गुना कार्य अनुभव होना आवश्यक होगा। उच्चीकरण किये जाने की स्थिति में उच्चीकृत श्रेणी के लिए आवश्यक धरोहर धनराशि, हैसियत, पंजीकरण शुल्क इत्यादि नियमानुसार जमाकरना होगा।

संस्था में अनुभव के अतिरिक्त ठेकेदार के द्वारा अन्य सरकारी विभाग/उपक्रम/संस्था/निगमों के अनुभव भी मान्य होंगे।

(छ) स्थाई धरोहर धनराशि के रूप में बैंक गारन्टी स्वीकार नहीं की जायेगी।

(ज) अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ी जाति के ठेकेदारों तथा बेरोजगार इंजीनियर ठेकेदारों को पंजीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग की भांति हैसियत की धनराशि तथा स्थायी धरोहर धनराशि की निर्धारित सीमा में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

(झ) **पंजीकरण शुल्क**

प्रथम पंजीकरण एवं मान्यता प्राप्त ठेकेदार को आदेश की तिथि से 3 वर्ष के लिए लिस्ट में रखे जाने के लिए अधिकृत करता है तथा इसी अवधि में वे निविदा में भाग लेने हेतु अधिकृत होगें। यदि निविदा आवंटित होने के पश्चात् निविदा निर्धारित अवधि में उनका पंजीकरण समाप्त हो जाता है तो नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा।

(ट) **नवीनीकरण शुल्क**

यदि प्रथम पंजीकरण की अवधि समाप्त होने अथवा प्रत्येक नवीनीकरण के 03 वर्षों के पूर्व नवीनीकरण शुल्क सहित सादे कागज पर आवेदन नहीं किया जाता है तो अवधि समाप्त होने पर उसका पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जाएगा तथा पुनः पंजीकरण हेतु नया आवेदन पत्र देना होगा। नवीनीकरण हेतु समाप्ति तिथि के दो माह पूर्व आवेदन देना होगा। नवीनीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में जारी किया गया हो द्वारा देय होगी।

(ठ) **हैसियत प्रमाण पत्र**

हैसियत (साल्वेंसी) निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी (जिलाधिकारी) से प्राप्त की जानी होगी। लोक निर्माण विभाग की भांति अनुसूचित जाति/ जनजाति ठेकेदारों के लिए हैसियत में 50 प्रतिशत छूट अनुमन्य होगी।

(ड.) **चरित्र प्रमाण पत्र**

आवेदक को जिलाधिकारी से जारी चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। वर्तमान

निवास का पता भी सत्यापित कराकर देना होगा।

भाग–तीन

पंजीकरण हेतु ठेकेदारों की योग्यता

(क)–अनुभव

श्रेणी	अनुभव
ए	05 कार्यों का अनुभव जिसमें प्रत्येक रूपये 20.00 लाख से अधिक के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने का प्रमाण पत्र अनुबन्ध नं0 लागत सहित अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत।
बी	05 कार्यों का अनुभव जिसमें प्रत्येक रू0 10.00 लाख से अधिक के सन्तोषजनक के रूप में पूर्ण होने का प्रमाण पत्र अनुबन्ध नम्बर, लागत सहित अधिशासी अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत।

(ख) तकनीकी स्टॉफ

प्रत्येक श्रेणी हेतु निम्नानुसार तकनीकी स्टाफ का होना आवश्यक है :–

श्रेणी	ग्रेजुएट इंजीनियर	डिप्लोमा होल्डर
ए	1	1
बी	–	1

टिप्पणी :–

1. 10/– रूपये के नान जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।
2. श्रेणी ए, एवं बी के पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी स्टाफ होने चाहिए जो भली–भांति मानचित्र पढ़ने में, कार्यो की प्लानिंग एवं सम्पादन में, बिल बनाने में तथा कार्यों के पर्यवेक्षण में सक्षम हो।

(ग) विभिन्न श्रेणी हेतु आवश्यक मशीनरी, टूल्स एवं प्लान्ट्स :–

(1) निर्माण कार्यों पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूची :–

क्र0	मशीनरी का नाम	श्रेणी	
		ए	बी
1	कंकरीट मिक्सर	2	1
2	वाइब्रेटर	3	2
3	थियोडोलाइट/ लेवलिंग मशीन स्टाफ सहित	1	1

(2) **टिप्पणी:**–रू0 10/– के नाम जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर देना होगा।

(iii) ठेकेदारों द्वारा अपने अनुभव का विवरण निम्नानुसार देना होगा :–

(घ) विगत तीन वर्षों में पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों का विवरण :–

क्र0	विभाग का नाम पता	कार्य का नाम	लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि		हस्तान्तरण की तिथि	प्रमाण पत्र संलग्न की स्थिति
					अनुबन्ध	वास्तविक		

(च) निर्माणाधीन कार्यों का विवरण :–

क्र0	विभाग/खण्ड का नाम पता	कार्य का नाम	लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि

भाग–चार

निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रतिष्ठानों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम एवं शर्तें

(क) भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु विभिन्न श्रेणी में पंजीकृत फर्म/ठेकेदार निम्नानुसार अंकित मूल्य तक कार्य लेने हेतु अधिकृत है :–

ए श्रेणीः– असीमित

बी श्रेणीः– रू0 500.00 लाख तक

(ख) निर्माण कार्यों पर भाग तीन–ख के अनुसार तकनीकी स्टाफ रखना होगा।

(ग) निर्माण कार्यों पर भाग तीन–ग के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी एवं उसकी देखभाल, खर्चा आदि स्वयं वहन करना होगा। यदि कोई मशीनरी विभाग द्वारा दी गयी है तो उसका किराया निर्धारित दरों पर बिल से काटा जाएगा।

(घ) ठेकेदारों को कार्य की अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि अथवा जैसा भी निविदा सूचना में अंकित हो, की एफ0डी0आर0 वित्त अधिकारी ल0वि0वि0 के पक्ष में बंधक हो, धरोहर धनराशि के रूप में निविदा प्रपत्रों के साथ जमा कराना होगा।

(च) पंजीकृत ठेकेदारों को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों से विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, फिनीशिंग ठीक न करना, विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों से अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार कार्य अधीक्षक का होगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदारों की सूची को विश्वविद्यालय बेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

(छ) आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार (ब्लड रिलेशन) लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं है। ब्लड रिलेशन में पिता–पुत्र, भाई–बहन, चाचा, दादा, नाना, पौत्र, फर्स्टकजिन, सास–ससुर, दामाद, बहनोई, पति–पत्नी, माता–मामी, मौसा, चचेरे भाई बहन, मौसेरे भाई बहन आदि शामिल है। यदि पंजीकरण के उपरान्त इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा।

(ज) हैसियत प्रमाण पत्र लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी प्रारूप PWD T-5 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर देना होगा।

(झ) आवेदक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी प्रारूप PWD T-4) पर एवं वर्तमान निवास स्थान का पता सत्यापित कराकर देना होगा।

(ट) प्रमाण पत्रों के साथ चस्पा की जाने वाली फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी/नोटरी से प्रमाणित होनी चाहिए।

(ठ) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी होगी।

(ड.) पंजीकरण शुल्क संलग्न विवरण के अनुसार देय होगा। पंजीकरण तीन वर्ष हेतु मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क की धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वित्त अधिकारी, लखनऊ विश्वविद्यालय के पक्ष में जारी किया गया हो, द्वारा देय होगी।

(ढ) वांछित अभिलेख, आवेदन पत्र के साथ न जमा करने पर अथवा अन्य किसी कारणों से आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार लखनऊ विश्वविद्यालय का होगा।

(त) पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन पत्र को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को निहित होगा।

(थ) पंजीकृत ठेकेदार को लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा भविष्य में भी समय–समय पर जारी किये गये आदेश मानने होंगे।

(द) अधिकारी कैडर के किसी अभियन्ता अथवा अन्य अधिकारी जो निर्माण विभाग, ल0वि0वि0 अभियन्त्रण या प्रशासनिक कार्यों से सेवामुक्त हो, को सेवा निवृत्त होने के दो वर्षों तक बिना कार्य अधीक्षक की पूर्व आज्ञा के ठेकेदार के रूप में अथवा ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में निर्माण विभाग में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि पंजीकरण के बाद भी ऐसा व्यक्ति होना पाया जाता है जिसने उपर्युक्तानुसार निर्माण विभाग से अनुमति न ली हो तो उसका नाम मान्यता प्राप्त ठेकेदार की सूची से हटा दिया जाएगा।

(ध) ठेकेदारों द्वारा आयकर विभाग में पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति तथा बैलेंस शीट देना होगा।

(न) निर्माण विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में पंजीकृत फर्मों का नवीनीकरण किये जाने या आगे की अवधि हेतु वैद्यता बढ़ाने के लिए फर्म को गत वर्ष में किये गये भवन कार्यों निर्माण/विकास कार्यों के संतोषजनक सम्पादन का प्रमाण पत्र देना होगा। उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्र में किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का उल्लेख होना चाहिए, जिसकी पुष्टि कराने के उपरान्त अभिलेखानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी, जो सभी श्रेणी के फर्मों पर मान्य होगी।

(प) पंजीकृत ठेकेदारों का नवीनीकरण तीन वर्ष के लिए किया जाएगा। लेकिन पंजीकरण समाप्त होने के एक माह पूर्व इस हेतु आवेदन समस्त प्रमाण पत्रों यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा किये गये कार्यों का संतोषजनक रूप से पूर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पंजीकृत अवधि में किसी प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि वह बिना मांगे उक्त प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कराकर प्रस्तुत करें अन्यथा विभाग द्वारा पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा।

(फ) यदि कोई फर्म किन्ही कारणों से निर्माण विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा ब्लैक लिस्ट की जाती है तो उस फर्म का स्वामी या पार्टनर जो किसी अन्य फर्म का पार्टनर या स्वामी है तो वह फर्म भी स्वतः ही ब्लैकलिस्ट हो जायेगी।

(ब) एक व्यक्ति एक ही फर्म में प्रोपराइटर अथवा साझीदार हो सकता है।

(भ) राज्य बार काउंसिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता ठेकेदारी के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नही है। कार्य का अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं संतुष्टि की दशा में ऐसे पंजीकरण/अनुबन्ध को निर्माण विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

(म) ऐसे व्यक्ति फर्म/कम्पनी जो किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड की श्रेणी में आते है, का पंजीकरण स्वीकृत नहीं किया जायेगा। इस श्रेणी के आवेदक पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु पात्र नहीं है। आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

(य) वर्तमान में ई–टेंडरिंग व्यवस्था लागू की जा चुकी है, जिस हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 (यूपीएलसी) नामित एजेन्सी है। अतः इस सम्बन्ध में इनके द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कार्यवाही समस्त ठेकेदारों को करनी होगी। इसके अनुसार अन्य कार्यवाही के साथ–साथ डिजिटल सिग्नेचर सम्बन्धित कार्यवाही भी करनी होगी।

(र) प्राप्त आवेदन पत्र के साथ जमा किये गये प्रपत्रों के आधार पर उपयुक्त पाये जाने की स्थिति में पंजीकरण कर दिया जायेगा। ठेकेदार द्वारा पंजीकरण फार्म के साथ जो प्रपत्र यथा चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, एफ0डी0आर0 आदि जमा किये गये है। तदोपरान्त उक्त प्रपत्रों के सत्यापन में किसी भी प्रपत्र के किसी भी स्तर पर असत्य/फर्जी पाये जाने पर फर्म का पंजीयन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। इस हेतु फर्म को रू0 100/– का नोटरी शपथ पत्र देना होगा।

(ल) किसी भी विवाद की स्थिति में इसके निस्तारण का अधिकार माननीय कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय को होगा तथा माननीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

(व) उक्त नियम व शर्तों के अन्तर्गत किसी भी विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार लखनऊ स्थित न्यायालय होगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

निर्माण विभाग, विश्वविद्यालय मार्ग, लखनऊ।

ए0 एवं बी0 श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण के लिए आवेदनपत्र

1. नाम/फर्म...
2. पूरा पता...

   ....

   मो0नं0...फोन नं0..

   ई–मेल...आधार कार्ड सं0..
3. स्वामित्व/पार्टनरशिप (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न–1)
4. स्टाफ की संख्या नाम व पते। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्न–2)
5. वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्नक–3)
6. पंजीकरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान का पता। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्नक–4)
7. दो नवीनतम प्रमाणित फोटो संलग्न करनी होगी। (समस्त भागीदारों की) तथा आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्नक–5)
8. आयकर विभाग से पिछले वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न की प्रति एवं बैलेंस शीट, पैन नं0 की छायाप्रति। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्नक–6)
9. वाणिज्यकर विभाग द्वारा GST नम्बर की छायाप्रति। (प्रतिलिपि संलग्न करें) (संलग्नक–7)
10. पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन। (यदि उपलब्ध है तो प्रतिलिपि संलग्न करें)
11. इस आशय का शपथपत्र देना होगा कि फर्म के किसी भी पार्टनर का निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं है। (शपथ पत्र संलग्न करें) (संलग्नक–8)
12. रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर सत्यापित स्वघोषणा पत्र। (शपथ पत्र संलग्न करें) (संलग्नक–9)
13. निर्माण/विकास कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची। (सूची संलग्न करें) (संलग्नक–10)

14. पिछले तीन वर्षों में किये गये भवन निर्माण/विकास कार्यों के विवरण की सूची। (सूची संलग्न करें) (संलग्नक–11)

15. निर्माणाधीन कार्यों की सूची। (सूची संलग्न करें)(संलग्नक–12)

16. सभी अनुभव प्रमाण पत्र। (सूची संलग्न करें)(संलग्नक–13)

17. डिग्री/डिप्लोमा होल्डर अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि। (संलग्नक–14)

18. पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (प्रमाण पत्र संलग्न करें) (संलग्नक–15)

19. अन्य आवश्यक संलग्नक यदि जमा किया गया है उसका उल्लेख करें।

नवीनतम सत्यापित पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ (सभी भागीदारों के)			

नमूना हस्ताक्षर   नमूना हस्ताक्षर

....

....

<u>महत्वपूर्ण टिप्पणी</u>

1. आवेदन पत्र दो प्रतियों में जमा होना चाहिए।
2. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिए।
3. एक से अधिक ग्रुप में पंजीकरण हेतु अलग–अलग प्रपत्रों पर आवेदन पत्र दिया जाना चाहिए।
4. आवेदन पत्र के साथ अन्तिम वर्ष का आयकर क्लियरैन्स प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। बिना आयकर क्लियरैन्स प्रमाण पत्र दिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

परिशिष्ट–स

शपथ पत्र

मैं..पुत्र श्री..............................निवासी (स्थायी पता) ....(अस्थाई पता).. ....का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता हूँ :–

1. मैं निर्माण विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय में ए/बी श्रेणी में पंजीकरण हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मेरे पास पर्याप्त चल और अचल सम्पत्ति है और व्यवसायिक रूप से निर्माण विभाग ल0वि0वि0 के कार्यों को पूरा करने के लिए सक्षम और समर्थ हूँ। मेरे पास आवश्यक मशीने और उपकरण आदि भी है तथा मुझे कार्य का पर्याप्त अनुभव है।
2. मेरे द्वारा दिये जा रहे प्रमाण पत्र, यथा चरित्र प्रमाण पत्र/हैसियत प्रमाण पत्र/आयकर प्रमाण पत्र/व्यापार कर प्रमाण पत्र तथा अन्य सुसंगत अभिलेख आदि पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दिये गये है।
3. मेरा पैन नं0....................................है। प्रमाण (पत्र की छायाप्रति संलग्न)
4. मेरे विरूद्ध आपराधिक मुकदमों का विवरण निम्न प्रकार है। यहां पूरा विवरण दिया जाये :–
    1. मुकदमा नम्बर.............................
    2. धारायें..
    3. थाना...
    4. जनपद...
    5. न्यायालय (जहां मुकदमा चल रहा है)...................................
5. मैं लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार की श्रेणी में नहीं आता हूँ। मैं आपराधिक गतिविधियों, माफिया तथा गैंगेस्टर गतिविधियों और संगठित अपराध करने की गतिविधियों और असामाजिक कार्यों आदि में लिप्त नहीं हूँ। मैं माफिया और अपराधी नहीं हूँ। मेरा चाल–चलन एवं कार्य आचरण उत्तम है।
6. मेरे विरूद्ध जनपद में तथा प्रदेश में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं है।
7. यदि ठेका प्राप्त करने के पश्चात् मेरे विरूद्ध माफिया गतिविधियों/ असामाजिक गतिविधियों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के बारे में कोई शिकायत प्रमाणित पायी जाती है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरा ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर दे। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मेरे द्वारा यदि विभाग/राज्य सरकार के विरूद्ध कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध आपराधिक मुकदमा नियमों के अन्तर्गत दर्ज कराये।
8. मैं अनुबन्धक की शर्तों के अनुसार समय से पूरी गुणवत्ता के साथ तथा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य पूरा करूंगा और विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करूंगा।
9. मेरा कार्य एवं आचरण उत्तम है।
10. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मेरा स्थाई पता और अस्थाई पता निम्न प्रकार है :–

(अ) स्थायी पता (दूरभाष सहित)..

(ब) अस्थायी पता (दूरभाष सहित))..

(यहां पूरा पता दूरभाष सहित एवं पिनकोड सहित लिखा जाय)

11. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि विभाग में पंजीकरण के लिये हैसियत प्रमाण पत्र जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर (जनपद का नाम लिखा जाय).. द्वारा प्राप्त करके मूलरूप से संलग्न कर रहा हूॅ। मै यह भी घोषणा करता हूँ कि इस हैसियत प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।

12. मैं अपनी पूर्ण जानकारी में पूरे होशो–हवास में, स्वस्थचित्त से, पूरी सत्यनिष्ठा से तथा स्वेच्छा से यह शपथ पत्र लिखकर दे रहा हूँ।

दिनांक

शपथी का पूरा हस्ताक्षर
पूरा नाम –
पता –

नोटः–

1. यह स्वघोषणा शपथ पत्र रू0 100/– (रू0 एक सौ) के Stamp Paper पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ पत्र देना संगीन और संज्ञेय अपराध है।
3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, शपथ पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।

शपथ पत्र का प्रारूप

मैं.................................... पुत्र श्री....................................निवासी (स्थायी पता) ....(अस्थाई पता).. ....का निवासी हूँ। मैं शपथ पत्र निम्न घोषणा करता हूँः–

1. यह कि मेरे अधीन..अदद ग्रेजुएट इंजीनियर................................ अदद डिप्लोमा होल्डर कार्यरत है, जिनका विवरण संलग्न है (यदि लागू)।
2. यह कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में तकनीकी स्टॉफ उपलब्ध है, जो कि मानचित्र पढ़ने में, कार्यों की प्लानिंग एवं संपादन में, निविदा निपुणता से भरने में, बिल बनाने में तथा कार्यों के संपादन एवं पर्यवेक्षण में सक्षम है (यदि लागू)।
3. यह कि यदि मेरी फर्म को विद्युत सम्बन्धित कार्यों का आवंटन किया जाता है तो मैं इसे मुख्य विद्युत निरीक्षक, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रदत्त 'क' श्रेणी के लाइसेंस होल्डर द्वारा ही कराया जायेगा तथा कार्य संपादन के पूर्व लाइसेंस होल्डर का पूरा विवरण तथा लाइसेंस की छायाप्रति अनिवार्य रूप से विभाग में उपलब्ध कराऊँगा।

दिनांकः–

शपथी का पूरा हस्ताक्षर
पूरा नाम –
पता –

नोट :–

1. यह स्वघोषणा शपथ पत्र रू0 10/– (दस रूपये) के Stamp paper पर नोटरी द्वारा साक्ष्यों की उपस्थिति में सत्यापित कराते हुए दिया जायेगा।
2. असत्य शपथ पत्र देनाएवं संगीन और संज्ञेय अपराध है।
3. सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पासपोर्ट साइज का अपना फोटोग्राफ, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो शपथ पत्र के ऊपर निर्धारित स्थान पर चस्पा किया जायेगा।